"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2015—— अग्रहायण 14, शक 1937

### नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

### अधिसूचना

क्रमांक एफ–4–87/2011/18.– छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करता है अर्थात् :–

### अनुसूची

| सरल क्रमांक | कार्यालय /निकाय/ अभिकरण का नाम | छ.ग.लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा | सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद) | सक्षम प्राधिकारी | अपीलीय अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | नगर निगम | गुमाश्ता लायसेंस (नगरीय क्षेत्र) | 30 कार्य दिवस | 1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) | 1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 1. आयुक्त नगर पालिक निगम |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | या<br>2. आयुक्त नगर पालिक निगम | | या<br>2. कलेक्टर |
| | नगर पालिका/ नगर पंचायत | गुमाश्ता लायसेंस (नगरीय क्षेत्र) | 30 कार्य दिवस | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
| 2. | नगर निगम | नाम हस्तांतरण संपत्ति का (नगरीय क्षेत्र) | 30 कार्य दिवस | 1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)<br>या<br>2. आयुक्त नगर पालिक निगम | 1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 1.आयुक्त नगर पालिक निगम<br>या<br>2.कलेक्टर |
| | नगर पालिका/ नगर पंचायत | नाम हस्तांतरण संपत्ति का (नगरीय क्षेत्र) | 30 कार्य दिवस | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
| 3. | नगर निगम | ट्रेडलाइसेंस | 30 कार्य दिवस | 1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)<br>या<br>2. आयुक्त नगर पालिक निगम | 1.आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 1.आयुक्त नगर पालिक निगम<br>या<br>2.कलेक्टर |
| | नगर पालिका/ नगर पंचायत | ट्रेडलाइसेंस | 30 कार्य दिवस | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
| 4. | नगर निगम | खाद्य (विक्रेता) पंजीकरण | 30 कार्य दिवस | 1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)<br>या<br>2. आयुक्त नगर पालिक निगम | 1.आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 1. आयुक्त नगर पालिक निगम<br>या<br>2.कलेक्टर |
| | नगर पालिका/ नगर पंचायत | खाद्य (विक्रेता) पंजीकरण | 30 कार्य दिवस | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
| 5. | नगर निगम | जनशिकायत | 30 कार्य दिवस | 1.आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)<br>या<br>2.आयुक्त नगर पालिक निगम | 1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 1.आयुक्त नगर पालिक निगम<br>या<br>2.कलेक्टर |

| | नगर पालिका / नगर पंचायत | जनशिकायत | 30 कार्य दिवस | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
|---|---|---|---|---|---|---|

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ–4–87/2011/18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–87/2011/18, दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F-4-87/2011/18. – in exercise of the powers conferred under Section 3, 4, 5 and 7 of Chhattisgarh Lok Sewa Guaranty Act 2011 (No. 23 of 2011) the State Government hereby notify the services provided by the department, time limit for the services to be provided and designation of the prescribed officer, competent officer and appellate officer in the schedule given below:-

SCHEDULE

| Sr.No. | Name of officer/ Ulb /Agency | Services to be provided under C.G.Lok Sewa Guaranty | Time limit for the service to be provided | Authority (Designation) of the Lok Adhikari responsible | Competent Authority | Appelate Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Nagar Nigam | Gumashta Licence (Urban Area) | Thirty Working Days | 1. Officer Authorised by Commissioner (if authorised ) OR 2. Commissioner Nagar Palik Nigam | 1.Officer Authorised by Commissioner | 1.Commissioner Nagar Palik Nigam OR 2.Collector |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nagar Palika / Nagar Panchayat | Gumashta Licence (Urban Area) | Thirty Working Days | Chief Municipal Officer | Chief Municipal Officer | Sub Divisional Officer (Revenue) |
| 2. | Nagar Nigam | Name Transfer of Property (Urban Area) | Thirty Working Days | 1. Officer Authorised by Commissioner (if authorised ) OR 2. Commissioner Nagar Palik Nigam | 1.Officer Authorised by Commissioner | 1.Commissioner Nagar Palik Nigam OR 2.Collector |
| | Nagar Palika / Nagar Panchayat | Name Transfer of Property (Urban Area) | Thirty Working Days | Chief Municipal Officer | Chief Municipal Officer | Sub Divisional Officer (Revenue) |
| 3. | Nagar Nigam | Trade License | Thirty Working Days | 1.Officer Authorised by Commissioner (if authorised ) OR 2.Commissioner Nagar Palik Nigam | 1.Officer Authorised by Commissioner | 1.Commissioner Nagar Palik Nigam OR 2.Collector |
| | Nagar Palika / Nagar Panchayat | Trade License | Thirty Working Days | Chief Municipal Officer | Chief Municipal Officer | Sub Divisional Officer (Revenue) |
| 4. | Nagar Nigam | Registration of Food (seller) | Thirty Working Days | 1.Officer Authorised by Commissioner (if authorised ) OR 2.Commissioner Nagar Palik Nigam | 1.Officer Authorised by Commissioner | 1.Commissioner Nagar Palik Nigam OR 2.Collector |
| | Nagar Palika / Nagar Panchayat | Registration of Food (seller) | Thirty Working Days | Chief Municipal Officer | Chief Municipal Officer | Sub Divisional Officer (Revenue) |
| 5. | Nagar Nigam | Public Grievance | Thirty Working Days | 1.Officer Authorised by Commissioner (if authorised ) OR 2.Commissioner Nagar Palik Nigam | 1.Officer Authorised by Commissioner | 1.Commissioner Nagar Palik Nigam OR 2.Collector |

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nagar Palika / Nagar Panchayat | Public Grievance | Thirty Working Days | Chief Municipal Officer | Chief Municipal Officer | Sub Divisional Officer (Revenue) |

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.